20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

न्यायालय माननीय राजस्व सदस्य मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक– निगरानी – 2949/2018/छतरपुर/भू.रा सन्–2018

A/Coll.
8.5.18 (44)

स्वामी प्रसाद चौबे तनय स्व. श्री लाल्ले चौबे,
निवासी ग्राम–कदारी, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) ..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. कशिया तनय स्व. श्री लीला कुर्मी,
2. गोरी बाई बेवा स्व. श्री परमलाल पटेल,

दोनों निवासीगण ग्राम–बृजपुरा,तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) ..... गैर निगरानीकर्ता

श्री स्वामीप्रसाद चौबे निo कदारी द्वारा प्रस्तुत 8.5.18

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू.रा.संहिता–1959 निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग–सागर, केम्प–छतरपुर के द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक–634/अ–19/2014–15 में पारित आदेश दिनांक–03.04.2018 से दुःखित होकर।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित विनय करता है :–

–: निगरानी के तथ्य :–

1. यह कि निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि–भूमि खसरा नंबर–279, रकवा- 2.764 हेक्टेयर, सिथत ग्राम–कदारी, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) निगरानीकर्ता के स्वर्गीय पिता श्री लाल्ले चौबे तनय श्री सूरे चौबे एवं निगरानीकर्ता के कनिज चाचा स्व. श्री रामप्यारे तनय स्व. श्री राजाराम चौबे, निवी ग्राम–कदारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी, जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में सम्वत् 2009 से आगे तक दर्ज रहा, जो अपने जीतेजी कृषि करते रहे एवं स्व. श्री रामप्यारे लावल्द फौत हो गये, जो अपने जीवनकाल में निगरानीकर्ता के स्व. पिता श्री लाल्ले चौबे के नाम अपने हक, हिस्सा के उक्त भूमि की वसीयत कर हक, हिस्सा दे गये थे व उपरोक्त श्री लाल्ले चौबे व स्व. श्री रामप्यारे चौबे के मरणोपरांत स्वर्गीय लाल्ले चौबे का निगरानीकताग एक मात्र वारिस होनेसे उक्त भूमि का एक मात्र स्वामी व आधिपत्यधारी हो गया था, जो कि उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता कृषि करके अपना व अपने परिवार का उदर–पोषण करता रहा है। चूंकि निगरानीकर्ता के उक्त पूर्वज अनपढ़ थे, जो राजस्व रिकॉर्ड से कभी ताल्लुक नहींरखते थे, वह तो मात्र कृषि करते रहे, जो यही जानते रहे कि उक्त भूमि उनकी है व इसी तरह निगरानीकर्ता अपने पूर्वजों की भूमि मानता हुआ कृषि करता आया, लेकिन गैरनिगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता के पूर्वजों की अज्ञानता का लाभ उठाकर निगरानीकर्ता के पूर्वजों को बिना पक्षकार बनाये तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिलकर पीठ–पीछे, चोरी–चोरी उक्त भूमि का गैर निगरानीकर्तागण क्रमांक–01 व 02 ने अपने नाम व्यवस्थापन करा लिया, जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को तब हुई, जब ग्राम में लगान जमा हेतु निगरानीकर्ता हल्का पटवारी से मिला व निगरानीकर्ता ने हल्का पटवारी से चर्चा की, कि–उक्त भूमि का लगान कितना है व मुझसे क्यों मांग नहीं की गई, तब हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि तो गैर निगरानीकर्तागण के नाम है–तुम्हारे नाम नहीं है, जिससे कि चिन्हित होकर निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि से संबंध में ...

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निग.– 2949 / 2018 / छतरपुर / भू.रा.

स्वामी प्रसाद चौबे विरूद्ध कशिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–10–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 22–10–2018 को आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन को ग्राहयता के तर्क पर सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त के प्र0क्र0 634/अ–19/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03–04–2018 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के विचाराधीन आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने प्र. क्र. 112/अ–19/1960–61 में पारित आदेश दिनांक 21–04–1962 के विरूद्ध 53 वर्ष पश्चात अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे अनुविभागीय अध्किारी ने प्रचलनशीलता के बिन्दु पर एवं सिविल नेचर का मानकर अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक ने समय बाधित अपील प्रस्तुत की है, इस कारण अपर आयुक्त ने अपील प्रचलनशीन न होने एवं समय बाधित होने से निरस्त की है। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता एवं त्रुटि प्रकट न होने से स्थिर रखा जाता है। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आग्राहय की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो। (आर.के. जैन) 29.X.18 सदस्य	